



**राजस्थान सरकार की
महत्वपूर्ण योजनाएं**

 सूचना सेवा
खंड .1

राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं

इस पुस्तिका राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का पूर्ण विवरण है जो संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे सूचना मित्र के लिए सहायक है

इस पुस्तिका की विषय सामग्री
सरकारी ऑनलाईन स्रोत से ली गई
है। इस पुस्तिका में सिर्फ महत्वपूर्ण
सरकारी योजनाओं का विवरण है जो
समाज के वृहद वर्ग को लाभान्वित
करता है।

इस पुस्तिका में सरल एवं आसानी
से समझे जाने युक्त भाषा का प्रयोग
किया गया है।

इस पुस्तिका के संदर्भ में सुझाव हेतु या अन्य विवरण हेतु
निचे दिए गये पते पर संपर्क करें

डिजिटल एंपावरमेंट फाउंडेशन
म.स. 44, द्वितीय एवं तृतीय तल, नारायणा आई.आई.टी
एकेडमी के पास, कालूसराय, नई दिल्ली-110016
ईमेल: defindia.net
दूरभाष: 91-11-26532786 / Fax: 91-11-26532787
वेबसाइट: www.defindia.net



राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं



- 08 स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं
- 11 शिक्षा से संबंधित योजनाएं
- 18 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं
- 26 आजीविका/रोजगार से संबंधित योजनाएं

स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं

1 कलेवा योजना

मंत्रालय/विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव करवाने वाली महिला
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव के दौरान दो दिनों तक निःशुल्क गर्म एवं पोषक आहार
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में करवाया जाये
आवश्यक प्रमाणपत्र	कुछ भी नहीं
आवेदन कैसे करें	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकारी से मिले
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	<p>प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) कमरा न.-1108, सचिवालय, मुख्य भवन जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2227132@2227797 ईमेल : phsrajasthan@gmail.com</p>

2 देशी घी योजना

मंत्रालय/विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	अस्पताल में प्रसव कराने वाली महिलाएं
लाभ	सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में महिला के प्रथम प्रसव के पश्चात 1 माह के भीतर धात्री (दूध पिलाने वाली महिला) को पोषक आहार को बढ़ावा देने के लिए 5 लीटर देशी घी
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> • प्रसव सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में करवाया जाये • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार • अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धारित सहरिया समुदाय के परिवार
आवश्यक प्रमाणपत्र	बीपीएल कार्ड ए.एन.सी कार्ड चिकित्सक/ए.एन.एम द्वारा प्रमाणित
आवेदन कैसे करें	प्रसव के बाद जननी शिशु सुरक्षा योजना की राशि के साथ देशी घी का कूपन मिलता है, जिसमें डेयरी बूथ संख्या अंकित होती है।
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) कमरा नं.-1108, सचिवालय, मुख्य भवन जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2227132@2227797 ईमेल : phsrajasthan@gmail.com

शिक्षा से संबंधित योजनाएं

1 अनुप्रति योजना

मंत्रालय/विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय												
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है												
लक्षित समूह	विकलांग पुरुष/महिला												
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> संध लोक सेवा द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td> <td>65,000 रुपये</td> </tr> <tr> <td>मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td> <td>30,000 रुपये</td> </tr> <tr> <td>साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर</td> <td>5,000 रुपये</td> </tr> </table> राजस्थान लोक सेवा द्वारा आयोजित राजस्थान अधीनस्त सेवा संयुक्त प्रतिभागी परीक्षा हेतु <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td> <td>25,000 रुपये</td> </tr> <tr> <td>मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर</td> <td>20,000 रुपये</td> </tr> <tr> <td>साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर</td> <td>5,000 रुपये</td> </tr> </table> प्रोफेशनल/तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईएम, एआईआईएम, एनआईटी, एनएलयू आदि परीक्षा में सफल होने तथा प्रवेश लेने के उपरान्त 40,000 से 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजकीय मेडिकल/इंजीनियरींग कॉलेज या आर.पी.एम.टी/आर.पी.ई.टी में सफल होने तथा राजकीय संस्थान में प्रवेश लेने पर लाभार्थी को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि। 	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	65,000 रुपये	मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	30,000 रुपये	साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	5,000 रुपये	प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	25,000 रुपये	मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	20,000 रुपये	साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	5,000 रुपये
प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	65,000 रुपये												
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	30,000 रुपये												
साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	5,000 रुपये												
प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	25,000 रुपये												
मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर	20,000 रुपये												
साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने पर	5,000 रुपये												
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। अभ्यर्थी अ.जा., अ.ज.जा., विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग (राज्य बीपीएल) का सदस्य हो। परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से अधिक ना हो। राजकीय सेवा में कार्यरत ना हो। 												
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाणपत्र/अनुक्रमांक प्रमाण पत्र 												
आवेदन कैसे करें	अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने/शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के तीन माह की अवधि में आवेदन पत्र संबंधित जिले (अभ्यर्थी का गृह जिला) के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होना												
अन्य सूचनाएं													
संपर्क	<p>जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जी-31, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2226636 ईमेल : raj.sje@rajasthan.gov.in, sjerajasthan@yahoo.co.in वेबसाइट: www.sje.rajasthan.gov.in</p>												

2 छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय/विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय																																	
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है																																	
लक्षित समूह	कक्षा 10 के बाद पढ़ाई करने वाले छात्र																																	
लाभ	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">पाठ्यक्रम समूह</th> <th colspan="2">अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग</th> <th colspan="2">अन्य पिछड़ा वर्ग</th> </tr> <tr> <th>छात्रावासी</th> <th>डे-स्कालर</th> <th>छात्रावासी</th> <th>डे-स्कालर</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1200</td> <td>550</td> <td>750</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>820</td> <td>530</td> <td>510</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>570</td> <td>300</td> <td>400</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>380</td> <td>230</td> <td>250</td> <td>160</td> </tr> </tbody> </table>					पाठ्यक्रम समूह	अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग		अन्य पिछड़ा वर्ग		छात्रावासी	डे-स्कालर	छात्रावासी	डे-स्कालर	A	1200	550	750	350	B	820	530	510	335	C	570	300	400	210	D	380	230	250	160
पाठ्यक्रम समूह	अनुसूचित जाति/जनजाति/विशेष पिछड़ा वर्ग		अन्य पिछड़ा वर्ग																															
	छात्रावासी	डे-स्कालर	छात्रावासी	डे-स्कालर																														
A	1200	550	750	350																														
B	820	530	510	335																														
C	570	300	400	210																														
D	380	230	250	160																														
योग्यता	<table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम सं.</th> <th>श्रेणी</th> <th>परिवार की वार्षिक आय सीमा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>अनुसूचित जाति</td> <td>2.50 लाख</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>अनुसूचित जनजाति</td> <td>2.50 लाख</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>विशेष पिछड़ा वर्ग</td> <td>1.00 लाख</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td> <td>2.50 लाख</td> </tr> </tbody> </table>					क्रम सं.	श्रेणी	परिवार की वार्षिक आय सीमा	1	अनुसूचित जाति	2.50 लाख	2	अनुसूचित जनजाति	2.50 लाख	3	विशेष पिछड़ा वर्ग	1.00 लाख	4	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.50 लाख														
क्रम सं.	श्रेणी	परिवार की वार्षिक आय सीमा																																
1	अनुसूचित जाति	2.50 लाख																																
2	अनुसूचित जनजाति	2.50 लाख																																
3	विशेष पिछड़ा वर्ग	1.00 लाख																																
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	2.50 लाख																																
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र कक्षा 10 उत्तीर्ण करने का अंकपत्र/प्रमाणपत्र की प्रति स्कूल के शुल्क की प्रति निवास प्रमाण पत्र बीपीएल राशन कार्ड की प्रति वास्तविक अभिभावक की मृत्यु की अवस्था में अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति 																																	
आवेदन कैसे करें	आवेदन ऑनलाईन होता है। विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात आवेदक को छात्रवृत्ति हेतु (नवीन या नवीनीकरण) ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.rajpmis.nic.in पर लॉगिन करें।																																	
अन्य सूचनाएं	टोल फ्री नम्बर 1800-180-6127 पर संपर्क करें																																	
संपर्क	जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जी-31, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2226636 ईमेल : raj.sje@rajasthan.gov.in , sjerajasthan@yahoo.co.in वेबसाइट: www.sje.rajasthan.gov.in																																	

3 अनुसूचित जाति के लिए छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय/विभाग	शिक्षा मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> • छात्रों को 15 रुपये प्रति माह एक वर्ष में 10 माह तक • छात्राओं को 20 रुपये प्रति माह एक वर्ष में 10 माह तक
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> • कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राएं • योजना सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> • जाति प्रमाणपत्र • आय प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें	विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलें
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	निदेशक शिक्षा विभाग, राजस्थान दूरभाष: 91-141-2227888 ईमेल : commsecedu@yahoo.com वेबसाइट: www.rajasthan.gov.in

4 अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय/विभाग	शिक्षा मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्र
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> छात्रों को 15 रुपये प्रति माह एक वर्ष में 10 माह तक छात्राओं को 20 रुपये प्रति माह एक वर्ष में 10 माह तक
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राएं योजना सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> जाति प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें	विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलें
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	<p>निदेशक शिक्षा विभाग, राजस्थान दूरभाष: 91-141-2227888 ईमेल : commsecedu@yahoo.com वेबसाइट: www.rajasthan.gov.in</p>

5

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय/विभाग	शिक्षा मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के छात्र
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> • कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 40 रुपये प्रति माह (एक वर्ष में 10 माह तक) • कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को 50 रुपये प्रति माह (एक वर्ष में 10 माह तक)
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> • कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की कक्षा में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राएं • योजना सिर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> • जाति प्रमाणपत्र • आय प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें	विद्यालय के प्रधानाचार्य से मिलें और उन्हें आवेदन दें या दिए गये वेबसाइट पते से आवेदन पत्र डाउनलोड करके प्रधानाचार्य को प्रस्तुत करें http://ibs.rajasthan.gov.in/pdf/344/344_Form.PDF
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	निदेशक शिक्षा विभाग, राजस्थान दूरभाष: 91-141-2227888 ईमेल : commsecedu@yahoo.com वेबसाइट: www.rajasthan.gov.in

6 निष्क्रमणीय पशुपालक के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय योजना

मंत्रालय/विभाग	शिक्षा मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	परम्परागत तरीको द्वारा आजीविका के साधन में जुड़े लोग जिनमें मवेशी पालन, भेड़ या ऊँट पालन, दूध निकालना व बेचना जैसे कार्य करने वाले पशुपालक कहलाते हैं। ऐसी जातियां मवेशी सहित अपने निवास स्थान को बदलते रहते हैं। उपरोक्त लक्षित समूह के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय विद्यालय खोला गया है।
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> • कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की शिक्षा • भोजन, नास्ते एवं विशेष भोजन की निःशुल्क व्यवस्था • निःशुल्क आवासीय व्यवस्था • आवासीय परिसर में ही शिक्षण सुविधा • बिजली, पानी की व्यवस्था • तेल, साबुन एवं बालकटाई आदि की व्यवस्था • गद्दे, कंबल, तौलिया आदि की व्यवस्था • खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था • स्कूल यूनिफार्म की व्यवस्था
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> • कक्षा 5 की परिक्षा उत्तीर्ण कर ली हो • पशुपालक समुदाय से हो
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> • जाति प्रमाणपत्र • उत्तीर्ण परिक्षा का अंकपत्र • निवास प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में टंकित (टाईप) कर आवेदन कर सकता है • प्रत्येक आवेदक एक ही आवेदन प्रस्तुत करेगा • आवेदन प्रध्यापक, आवासीय विद्यालय, हरियाली, जिला जालौर के पते पर भेजा जायेगा
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	<p>निदेशक शिक्षा विभाग, राजस्थान दूरभाष: 91-141-2227888 ईमेल : commsecedu@yahoo.com वेबसाईट: www.rajasthan.gov.in</p>

सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाएं

1 मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना

मंत्रालय/विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीमार व्यक्ति के उपचार हेतु
लाभ	बीपीएल समुदाय के सदस्यों के हार्ट, कैंसर एवं किडनी के ईलाज के लिए चयनित निजी अस्पताल में 1,00,000 रुपये तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> ● बीपीएल परिवार ● स्टेट बीपीएल परिवार ● आस्था कार्डधारी ● एच.आई.वी/एड्स के मरीज ● वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेशनधारी ● अन्योदय अन्न योजना में चयनित सहरिया समुदाय के परिवार ● मेहरानगढ़ दुर्ग में मारे गये व्यक्ति ● निःशक्त/विकलांग व्यक्ति के परिजन ● राज्य सरकार द्वारा संचालित अनाथालयों में निवास कर रहे अनाथ बच्चे ● राज्य सरकार द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के शारीरिक एवं मानसिक विकलांग बच्चे ● नवजीवन योजना के समस्त लाभार्थी ● सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 से कम है। ● जयपुर बम ब्लास्ट में मारे गये व्यक्तियों के परिवारजन ● बीपीएल समुदाय के निःसंतान दम्पति जिनका ईलाज संभव है
आवश्यक प्रमाणपत्र	संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें	जिला चिकित्साधिकारी से संपर्क करें
अन्य सूचनाएं	जिला/राज्य में आवश्यक ईलाज की सुविधा न होने पर या ईलाज संभव ना होने पर मरीज को एम्स (दिल्ली या चंडीगढ़) भी भेजा जा सकता है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी
संपर्क	<p>मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दूरभाष: 91-141-2221590</p> <p>निदेशक अस्पताल प्रशासन दूरभाष: 91-141-2229858</p> <p>प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) कमरा नं.-1108, सचिवालय, मुख्य भवन जयपुर-302005 ईमेल : phsrajasthan@gmail.com</p>

2 मुख्यमंत्री बालिका सम्बल योजना

मंत्रालय / विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग																					
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है																					
लक्षित समूह	केवल बालिका शिशु वाले दम्पति (पति-पत्नी)																					
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> राज्य सरकार यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यूटीआई) में प्रत्येक बालिका के नाम पर 10,000 रुपये जमा करवाती है। बांड बालिका के 18 वर्ष के होने पर पूरी होती है। <p>मिलने वाली राशि उम्र के अनुसार नीचे सारणी में दर्शाई गई है</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बालिका की उम्र</th> <th>बांड की अवधि</th> <th>परिपक्व राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 वर्ष</td> <td>18 वर्ष</td> <td>76,990 / -</td> </tr> <tr> <td>1 वर्ष</td> <td>17 वर्ष</td> <td>68660 / -</td> </tr> <tr> <td>2 वर्ष</td> <td>16 वर्ष</td> <td>61,304 / -</td> </tr> <tr> <td>3 वर्ष</td> <td>15 वर्ष</td> <td>54736 / -</td> </tr> <tr> <td>4 वर्ष</td> <td>14 वर्ष</td> <td>48871 / -</td> </tr> <tr> <td>5 वर्ष</td> <td>13 वर्ष</td> <td>43635 / -</td> </tr> </tbody> </table>	बालिका की उम्र	बांड की अवधि	परिपक्व राशि	0 वर्ष	18 वर्ष	76,990 / -	1 वर्ष	17 वर्ष	68660 / -	2 वर्ष	16 वर्ष	61,304 / -	3 वर्ष	15 वर्ष	54736 / -	4 वर्ष	14 वर्ष	48871 / -	5 वर्ष	13 वर्ष	43635 / -
बालिका की उम्र	बांड की अवधि	परिपक्व राशि																				
0 वर्ष	18 वर्ष	76,990 / -																				
1 वर्ष	17 वर्ष	68660 / -																				
2 वर्ष	16 वर्ष	61,304 / -																				
3 वर्ष	15 वर्ष	54736 / -																				
4 वर्ष	14 वर्ष	48871 / -																				
5 वर्ष	13 वर्ष	43635 / -																				
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> कोई भी दम्पति जिन्होंने एक या दो बालिकाओं के बाद नसबंदी करवाई हो। बालिका 5 वर्ष से अधिक उम्र की नहीं होनी चाहिए। दम्पति का कोई पुत्र न हो 																					
आवश्यक प्रमाणपत्र	कोई पुत्र नहीं है और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या का प्रमाणपत्र																					
आवेदन कैसे करें	प्रमाण पत्र के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभाग में संबंधित अधिकारी से मिलें																					
अन्य सूचनाएं																						
संपर्क	<p>प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) कमरा न.-1108, सचिवालय, मुख्य भवन जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2227132@2227797 ईमेल : phsrajasthan@gmail.com</p>																					

3 ज्योति योजना

मंत्रालय/विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	बालिका शिशु वाली महिलाएं
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> ● महिला को रोजगार में वरीयता ● शिक्षा में सहायता ● सरकारी अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> ● इसी महिला जिसने एक या दो बालिका शिशु के बाद नसबंदी करवाई हो। ● महिला का कोई पुत्र न हो
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> ● कोई पुत्र नहीं है और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या का प्रमाणपत्र ● नसबंदी का प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें	प्रमाण पत्र के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रभाग में संबंधित अधिकारी से मिलें
अन्य सूचनाएं	
संपर्क	<p>प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) कमरा न.-1108, सचिवालय, मुख्य भवन जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2227132@2227797 ईमेल : phsrajasthan@gmail.com</p>

4

पालनहार योजना

मंत्रालय/विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	<ul style="list-style-type: none"> • 18 वर्ष से कम उम्र के अनाथ बच्चे <ul style="list-style-type: none"> • जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी हो या • माता-पिता को आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो चुका हो • पिता या माता में से एक की मृत्यु और दूसरे का कारावास/फांसी की सजा हो चुकी हो • पिता की मृत्यु हो चुकी हो विधवा माता निराश्रित पेंशन हेतु पात्रता रखती हो • विधिवत पुर्विवाह करने वाली विधवा माता की संतान हो • कुष्ठ रोग/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान हो
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> • 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनवाड़ी केन्द्र जाना अनिवार्य) • स्कूल में प्रवेश के बाद 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य) • कुष्ठ/एड्स रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों को स्कूल में प्रवेश के बाद 1000 रुपये के स्थान पर 675 रुपये प्रतिमाह ही मिलेगा (विद्यालय जाना अनिवार्य) • कपड़े, स्वेटर, जूते आदि के लिए 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त देय। • निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> • आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। • आवेदक आवेदन करने की तिथि से कम से कम 3 वर्ष से पहले से राजस्थान में रह रहा हो। • पालनहार परिवार (बच्चे की देख रेख करने वाला परिवार) की वार्षिक आय 1.2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। • 2 वर्ष से 5 वर्ष की आयु तक बच्चे को आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य है और 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का स्कूल में दाखिला अनिवार्य है। • 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए स्कूल में दाखिले का प्रमाणपत्र
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> • माता या पिता या दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र • कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान होने की स्थिति में सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। • एड्स रोग से पीड़ित होने की स्थिति में राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीकरण का प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है। • पालनहार परिवार का आय प्रमाण पत्र • सरपंच/वार्ड पार्षद का प्रमाणपत्र
आवेदन कैसे करें	संबंधित प्रमाणपत्र के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी से मिलें
अन्य सूचनाएं	
संपर्क सूत्र	<p>जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जी-31, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2226636 ईमेल : raj.sje@rajasthan.gov.in, sjerajasthan@yahoo.co.in वेबसाइट: www.sje.rajasthan.gov.in</p>

5 आस्था योजना

मंत्रालय/विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	निःशक्त परिवारों हेतु सहायता एवं सहयोग (परिवार में यदि दो या दो से अधिक विकलांग/निःशक्त सदस्य हों)
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> यदि परिवार में दो या दो से अधिक निःशक्त/विकलांग सदस्य हों तो उस परिवार को बीपीएल परिवार को मिलने वाली सारी सुविधाओं को लाभ मिलेगा। जैसे निःशुल्क चिकित्सा इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले निःशुल्क मकान राशन सामग्री में रियायत आदि
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> परिवार में कम से कम 2 निःशक्त/विकलांग सदस्य परिवार की वार्षिक आय 1.2 लाख से अधिक न हो
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> राशन कार्ड की छायाप्रति निःशक्त/विकलांग सदस्यों का प्रमाणपत्र निःशक्त/विकलांग सदस्यों की निःशक्तता दर्शाता हुआ एक-एक फोटोग्राफ
आवेदन कैसे करें	आवेदन पत्र एवं संबंधित प्रमाणपत्र के साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिलाधिकारी से मिलें
अन्य सूचनाएं	
संपर्क सूत्र	<p>जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जी-31, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2226636 ईमेल : raj.sje@rajasthan.gov.in, sjerajasthan@yahoo.co.in वेबसाइट: www.sje.rajasthan.gov.in</p>

6 परिवार कल्याण बीमा योजना

मंत्रालय/विभाग	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग												
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है												
लक्षित समूह	नसबंदी के दौरान/कारण महिला की मृत्यु होने पर												
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> नसबंदी के दौरान किसी भी कारण महिला की मृत्यु हो जाने पर मिलने वाली सहायता/बीमा राशि <table border="1"> <thead> <tr> <th>fLFkrh</th> <th>ckM dh vof/k</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>अस्पताल में अथवा नसबंदी के 7 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर</td> <td>2,0000 रुपये की राशि (50,000 रुपये तुरंत एवं बाकी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित समय में)</td> </tr> <tr> <td>अस्पताल में अथवा नसबंदी के 8 से 30 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर</td> <td>50,000 रुपये की राशि</td> </tr> <tr> <td>आपरेशन के असफल हो जाने की स्थिति में</td> <td>30,000 रुपये की राशि</td> </tr> <tr> <td>30 से 60 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर</td> <td>अधिकतम 25,000 रुपये की राशि तक वास्तविक खर्च</td> </tr> <tr> <td>5 वर्ष</td> <td>13 वर्ष</td> </tr> </tbody> </table>	fLFkrh	ckM dh vof/k	अस्पताल में अथवा नसबंदी के 7 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर	2,0000 रुपये की राशि (50,000 रुपये तुरंत एवं बाकी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित समय में)	अस्पताल में अथवा नसबंदी के 8 से 30 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर	50,000 रुपये की राशि	आपरेशन के असफल हो जाने की स्थिति में	30,000 रुपये की राशि	30 से 60 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर	अधिकतम 25,000 रुपये की राशि तक वास्तविक खर्च	5 वर्ष	13 वर्ष
fLFkrh	ckM dh vof/k												
अस्पताल में अथवा नसबंदी के 7 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर	2,0000 रुपये की राशि (50,000 रुपये तुरंत एवं बाकी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित समय में)												
अस्पताल में अथवा नसबंदी के 8 से 30 दिनों के अंदर मृत्यु हो जाने पर	50,000 रुपये की राशि												
आपरेशन के असफल हो जाने की स्थिति में	30,000 रुपये की राशि												
30 से 60 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर	अधिकतम 25,000 रुपये की राशि तक वास्तविक खर्च												
5 वर्ष	13 वर्ष												
योग्यता	नसबंदी के दौरान/कारण महिला की मृत्यु हो जाने पर												
आवश्यक प्रमाणपत्र	नसबंदी से संबंधित प्रमाणपत्र												
आवेदन कैसे करें	सरकारी अस्पताल के चिकित्साधिकारी/जिला चिकित्सा अधिकारी को आवेदन दें												
अन्य सूचनाएं													
संपर्क	प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) कमरा न.-1108, सचिवालय, मुख्य भवन जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2227132@2227797 ईमेल : phsrajasthan@gmail.com												

7 डा.शविता अम्बेडकर अंतर्रातीय विवाह योजना

मंत्रालय/विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	अंतर्रातीय विवाह करने वाले दम्पति
लाभ	50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> राजस्थान का स्थाई निवासी/स्थायी रूप से निवास करता है। आवेदन करते समय विवाह को दो वर्ष से अधिक समय ना हुआ हो। आवेदनकर्ता लड़का या लड़की में से एक अनुसूचित जाति का हो और दूसरा सवर्ण हिन्दु हो। विवाह के समय लड़के की आयु 21 वर्ष तथा लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> जाति प्रमाणपत्र आय प्रमाणपत्र विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित संयुक्त फोटोग्राफ
आवेदन कैसे करें	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से निःशुल्क फार्म प्राप्त कर, भरे हुए आवेदन पत्र के साथ विभाग के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करें
अन्य सूचनाएं	योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को विवाह के 2 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक है
संपर्क	<p>जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जी-31, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2226636 ईमेल : raj.sje@rajasthan.gov.in, sjerajasthan@yahoo.co.in वेबसाईट: www.sje.rajasthan.gov.in</p>

आजीविका/रोजगार से संबंधित योजनाएं

6 विश्वास योजना

मंत्रालय/विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
योजना की अवधि	निर्धारित नहीं है
लक्षित समूह	विकलांग पुरुष/महिला
लाभ	<ul style="list-style-type: none"> रोजगार के लिए 50,000 रुपये का ऋण
योग्यता	<ul style="list-style-type: none"> विकलांग पुरुष/महिला जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो। आवेदक की मासिक आय सभी स्रोतों से 2,000 से अधिक ना हो।
आवश्यक प्रमाणपत्र	<ul style="list-style-type: none"> विकलांगता प्रमाणपत्र पहचान पत्र आय प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें	जिलाधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संपर्क करें
अन्य सूचनाएं	कोई भी परिवार जिसमें दो या दो से अधिक विकलांग सदस्य हैं, उन्हें बीपीएल (गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार) को मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी।
संपर्क	<p>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जी-31, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी एरिया जयपुर-302005 दूरभाष: 91-141-2226636 ईमेल : raj.sje@rajasthan.gov.in, sjerajasthan@yahoo.co.in वेबसाइट: www.sje.rajasthan.gov.in</p>



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

सूचना सेवा कार्यक्रम डिजिटल एंपावरमेंट फाउंडेशन

मकान नं० - 44, द्वितीय एवं तृतीय तल,
नारायणा आई आई टी एकोडमी, कालू सहाय,
आई आई टी प्लॉट ओवर के पास, नई दिल्ली - 110016

फोन नं० : 91-11-26532786 / फैक्स : 91-11-26532787
ई मेल : def@defindia.net / वेबसाइट : www.defindia.net